आवश्यक / ई–मेल / फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ

(टावर प्रथम, 7वॉं तल, पुलिस भवन(सिग्नेचर बिल्डिंग) गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002)

संख्या: बजट–3 / ख–64–2019 दिनांक: मार्च 30, 2025

सेवा में,

समस्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा हेतु गनर, शैडो एवं गार्द उपलब्ध कराये जाने के लिये निर्धारित नई नीति के दृष्टिगत इनके पुनरीक्षित व्ययभार का निर्धारण।

कृपया अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:682 PGS / छः–पु0–2–14–700(1) / 2001, दिनांक:09–05–2014 में निहित निर्देशों एवं शासनादेश संख्या:67 / 2016 / वे0आ0–2–1447 / दस–04(एम) / 2016, वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 दिनांक:22–12–2016 द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के आधार पर, प्रदेश के विशिष्ट / अतिविशिष्ट महानुभावों एवं बैंक आदि की सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराये गये आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के लिये निर्धारित वसूली दरें, दिनांक 01–04–2025 से निम्नानुसार संशोधित / प्रभावी होगी :–

क्र0 सं0	विवरण	दिनांक:01–04–2025 से प्रभावी दरें		
		आरक्षी	मुख्य आरक्षी	उपनिरीक्षक
1.	10 प्रतिशत निजी व्यय पर	13,600	15,669	21,154
2.	25 प्रतिशत निजी व्यय पर	34,000	39,173	52,885
3.	75 प्रतिशत निजी व्यय पर	1,02,001	1,17,518	1,58,654
4.	100 प्रतिशत निजी व्यय पर	1,36,001	1,56,690	2,11,539

2– आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं उपनिरीक्षकों हेतु उपरोक्त निर्धारित वसूली दरों के अन्तर्गत सम्मिलित औसत वेतन, मॅंहगाई एवं अन्य भत्तों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	विवरण	आरक्षी	मुख्य आरक्षी	उपनिरीक्षक
1.	औसत वेतन	65,400	76,190	1,04,380
2..	मॅंहगाई भत्ता (वेतन का 31 प्रतिशत)	34,662	40,381	55,321
3.	अन्य भत्ते	35,939	40,119	51,838
	योग–	1,36,001	1,56,690	2,11,539

औसत वेतन पर 53 प्रतिशत मॅंहगाई भत्ता का आगणन किया गया है। भविष्य में मॅंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो तत्समय होने वाले परिवर्तन को संबंधित जनपद / इकाई द्वारा स्वतः उनके स्तर से सशोधन कर वसूली किया जाना समीचीन है।

3– कृपया संदर्भित उक्त शासनादेश में निहित निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कराने का कष्ट करें। साथ ही समय–समय पर मॅंहगाई भत्ते / नगर प्रतिकर एवं अन्य भत्तो की दरों में वृद्धि / परिवर्तन होने पर, वसूली दरें, तद्नुसार पुनरीक्षित कर ली जाय।

[signature]

(अशोक कुमार सिंह)
वित्त नियंत्रक।